



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1247 दिनांक- ९.५.२०२३

-:आम सूचना:-

पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना- चाणक्यपुरी बी का आवंटन/नियमन कराने हेतु सोसायटी द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र. सं.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण/आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम-बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास तहसील-सांगानेर	127 128 129	0.03 0.03 2.22	सम्पूर्ण सम्पूर्ण आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
कुल		3	2.28 हैक्टेयर में से योजना मानचित्रानुसार		

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है-

क्र.सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1.		01	
2.		02	
3.		03	
4.	श्रीमती रजनी अग्रवाल पत्नि श्री रामजीलाल	04	209.16
5.		05	
6.		06	
7.		07	
8.	श्रीमती आशा पत्नि श्री राम बाबू	08	209.25
9.		09	
10.		10	
11.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा	11	215.96
12.	श्री विष्णु अग्रवाल पुत्र श्री घनश्याम दास अग्रवाल	12	221.38
13.	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल	13	226.66
14.	श्री रामजी लाल अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल	14	233.33
15.	श्रीमती विमलेश देवी पत्नि श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल	15	240.00
16.	श्रीमती विमलेश देवी पत्नि श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल	16	246.93
17.	श्रीमती रोशन लता पत्नि श्री बच्चुसिंह	17	256.10
18.	श्री सुनिल अग्रवाल पुत्र श्री विनोद अग्रवाल	18	331.66
19.	श्री सुनिल अग्रवाल पुत्र श्री विनोद अग्रवाल	19	200.00
20.	श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल पत्नि श्री विनोद कुमार	20	200.00
21.	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल	21	200.00
22.	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल	22	200.00
23.	श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल पत्नि श्री विनोद कुमार	23	304.58
24.	श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल पत्नि श्री विनोद कुमार	24	304.58
25.	कुं. मीना सैनी पुत्री श्री लाल चन्द सैनी	25	277.00
26.	श्री मुकेश सैनी पुत्र श्री लाल चन्द सैनी	26	277.00
27.	श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री लाल चन्द सैनी	27	277.00
28.	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री लाल चन्द सैनी	28	458.05
29.	श्री रामदेव सैनी पुत्र श्री भंवर लाल	29	458.05
30.	श्री महेश राज सैनी/नवरतन लाल सैनी पुत्रान श्री रामदेव सैनी	30	277.00
31.	श्री रविशंकर सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	31	277.00
32.	श्री सुरजनारायण सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	32	277.00

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र.सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति	दुकान संख्या	क्षेत्रफल
1.	श्री लालचन्द सैनी पुत्र श्री भंवरलाल सैनी	1	41.66
2.	श्री लालचन्द सैनी पुत्र श्री भंवरलाल सैनी	2	27.77
3.	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री लाल चन्द सैनी	3	27.77
4.	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री लाल चन्द सैनी	4	27.77
5.	श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री लाल चन्द सैनी	5	27.77
6.	श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री लाल चन्द सैनी	6	27.77
7.	श्री मुकेश सैनी पुत्र श्री लाल चन्द सैनी	7	27.77
8.	श्री मुकेश सैनी पुत्र श्री लाल चन्द सैनी	8	27.77
9.	श्री नवरतन लाल सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	9	41.66
10.	श्री नवरतन लाल सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	10	27.77
11.	श्री सुरजनारायण सैनी पुत्र श्री राम देवी सैनी	11	27.77
12.	श्री सुरजनारायण सैनी पुत्र श्री राम देवी सैनी	12	27.77
13.	रविशंकर सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	13	27.77
14.	रविशंकर सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	14	27.77
15.	श्री महेश राज सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	15	27.77
16.	श्री महेश राज सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	16	27.77

उक्त योजना- चाणक्यपुरी बी ग्राम-बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर दिनांक 15.05.2023 को लगाया जाना नियत है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-द्वितीय), इन्द्र पथ सेक्टर-12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित आवासीय ब्लॉक की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

६
उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, पी.आर.एन. जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें। कृपया उपायुक्त पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा को कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञप्ति की राशि से अवगत करावें। जिससे आवंटन की राशि के साथ यह राशि योजना के भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सकें।

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 846

दिनांक 5/5/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

9/5/2023

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्रीमती शोभना भरवानी पत्नी श्री त्रिलोक एम भरवानी एवं श्रीमती कविता मेहबूबानी पत्नी श्री रोशन बी मेहबूबानी	श्रीमती शोभना भरवानी पत्नी श्री त्रिलोक एम भरवानी एवं श्रीमती कविता मेहबूबानी पत्नी श्री रोशन बी मेहबूबानी	बी-281	आवासीय	वैशाली नगर (जविप्रा योजना)	216.67 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-7, जविप्रा, जयपुर
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-

84)

दिनांक 5/5/2023

आम सूचना

9/5/2023

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती नलिनी कुमारी पत्नी स्व. श्री मनोहर सिंह शेखावत	श्री मनोहर सिंह शेखावत पुत्र श्री छोटू सिंह	178	225.56 व.ग.	दी कृष्णा हा. को.सो.लि.	ए.के. 10 भारतेन्दु नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	सहकारी समिति द्वारा जारी डुप्लीकेट आवंटन पत्र, साईट प्लान व रसीद, पंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के आधार पर

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर, जयपुर।
जोन-7, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2023/डी-947

दिनांक 8/5/23

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	41	शिव शक्ति नगर बी	श्री राजीव गुप्ता पुत्र डॉ. बृज गोपाल	बृज गोपाल पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद मित्तल	न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम-10 जयपुर महानगर, प्रथम मुख्यालय सांगानेर में पारीत निर्णय दिनांक 25.01.2022 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईमेल - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240 : ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1036

दिनांक: - 08/05/2023

संशोधित लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण बाबा आर एन गौड गृह निर्माण सहकारी समिति को आवारणीय योजना शिवाजी छत्रपति कैम्पस (विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची) के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90 क(8) के विरोध होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 क, धारा 91 सपठित धारा 90 क(5) एवं राजस्थान अग्निधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (11) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावसित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90 क (5) एवं सपठित राजस्थान अग्निधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित करने हेतु लोक सूचना क्रमांक डी 649 दिनांक 10.03.2023 को जारी की गयी थी। उक्त लोक सूचना में खसरा नम्बर 847 रकबा 0.21 हैक्ट. गलत अंकित हो गया था। अतः पुनः उक्त खसरा भूमि की संशोधित लोक सूचना निम्नानुसार है।

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वागित्व
ग्राम टटिका	सांगानेर	847	0.29	1. अर्जुन पुत्र पांच्या हिस्सा- 1/10 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 2. कल्याण पुत्र मांगू हिस्सा- 1/20 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 3. छाजू पुत्र मांगू हिस्सा- 1/20 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 4. धापू पत्नि स्व. रामगोपाल हिस्सा- 1/80 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 5. प्रभुनारायण दत्तक पुत्र सज्जाराग हिस्सा- 1/10 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 6. बद्रीनारायण पुत्र लच्छूराम हिस्सा- 1/16 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 7. बाबूलाल पुत्र लच्छूराम हिस्सा- 1/16 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 8. बाबूलाल पुत्र रामगोपाल हिस्सा- 1/80 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 9. मंजूदेवी पत्नि मिथलेशप्रसाद हिस्सा 3/20 जाति- बैरवा नि.89 रूपनगर दविलिय गोपालपुरा बाईपास बार्ड न.15 सांगानेर खातेदार, 10. मांगी पत्नि स्व. मांगू हिस्सा- 1/20 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 11. रमेश पुत्र रामगोपाल हिस्सा- 1/80 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 12. रामकंवार पुत्र रामगोपाल हिस्सा- 1/80 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 13. रामफूल पुत्र लच्छूराम हिस्सा- 1/16 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 14. रामलाल पुत्र लच्छूराम हिस्सा- 1/16 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 15. रामेश्वर पुत्र मांगू हिस्सा- 1/20 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार, 16. हनुमानसाहाय पुत्र मूलचन्द हिस्सा- 3/20 जाति- बलाई नि.12 गणतपुरा चक न.2 बार्ड न.12 असरपुरा सांगानेर खातेदार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)-वि/वे/अभियान/ 2021/म.मा. जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेण से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90 क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102553 / 2278

DATED-09/5/2023

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती पुष्पा केडिया पत्नी श्री सुरेश कुमार, श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी स्व. श्री बृजकिशोर शर्मा, सुश्री निक्की शर्मा पुत्री स्व. श्री बृजकिशोर शर्मा, श्री अर्जुन शर्मा पुत्र स्व. श्री बृजकिशोर शर्मा, निवासी 424, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर एवं श्री हरिनारायण पुत्र श्री उमेश चन्द निवासी 18, कृष्णा नगर, इमलीवाला फाटक, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।


अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-गोनेर तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्रीमती पुष्पा केडिया पत्नी श्री सुरेश कुमार हि. 1/2	1547	0.35 में से 0.0240
	श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी स्व. श्री बृजकिशोर शर्मा, हि. 1/12	1548	0.3000 में से 0.0820
	सुश्री निक्की शर्मा पुत्री स्व. श्री बृजकिशोर शर्मा, हि. 1/12	1555	0.3100
	श्री अर्जुन शर्मा पुत्र स्व. श्री बृजकिशोर शर्मा, हि. 1/12	1556	0.2900
	श्री उमेश चन्द पुत्र श्री हरिनारायण, हि. 1/12	1557	0.1900
	श्री अर्जुन शर्मा पुत्र स्व. श्री बृजकिशोर शर्मा, हि. 1/12	1558/2	0.1500
	श्री अर्जुन शर्मा पुत्र स्व. श्री बृजकिशोर शर्मा, हि. 1/12	1558/3	0.1200
	श्री उमेश चन्द पुत्र श्री हरिनारायण, हि. 1/4	1562	0.0900
	श्री उमेश चन्द पुत्र श्री हरिनारायण, हि. 1/4	1563	0.2000
कुल	कुल किता 09	रकबा 2.0000 हैक्टेयर में से 1.4560 हैक्टे	


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09/5/2023 को जारी की गयी।


 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्रतिलिपि-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन करवा जाने हेतु प्रेषित है।


 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 1010

दिनांक 5-5-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती राधा अरोडा पत्नी श्री बृजेन्द्र कुमार अरोडा	श्रीमती विद्या देवी शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा	ए-64	266.66 व.मी.	शिल्पाचार्य गृह निर्माण सहकारी समिति	जविप्रा की एल एस नगर योजना	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रादि


उपायुक्त जोन-2
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष={0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2023/डी-326

दिनांक 3-05-2023

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सर्वे संख्या 506	मनोहरपुरा कच्ची बस्ती	श्री गोकुल राम बैरवा पुत्र श्री घासीराम बैरवा	श्री घासीराम बैरवा पुत्र श्री धन्नाराम बैरवा	आवंटन पत्र/पट्टा पंजीकृत, हकत्त्याग, आदि।

80-

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

017-

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-1231

दिनांक 08/5/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटन का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रामूलाल बैरवा	श्री रामप्रसाद, दिनेश पुत्रान श्री रामू	एस-695	18 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र
2.	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रामूलाल बैरवा	श्री रामप्रसाद, दिनेश पुत्रान श्री रामू	एस-907-सी	300 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र
3.	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रामूलाल बैरवा	श्री रामप्रसाद, दिनेश पुत्रान श्री रामू	1431	900 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र
4.	श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी डॉ. महेश कुमार शर्मा	श्रीमती शशी पंवार पत्नी श्री राजेश पंवार	79	150 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम झाई	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
5.	श्री नवल टिवड़ेवाल पुत्र श्री शिव भगवान	नीरू लैण्डबैस प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री राधा गोविन्द लश्करी पुत्र स्व. श्री बंशीधर जी लश्करी	1371	240 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	आवंटन पत्र व लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
6.	श्री पवन कुमार सिंघला पुत्र श्री बृजमोहन सिंघला	श्री रामचन्द्र, तुलसीराम पुत्रान श्री मंगला	एस-42-सी	45 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम नृसिंहपुरा दादिया	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
7.	श्रीमती प्रवेश देवी पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री रमाकान्त अग्रवाल	एस-550	18 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम टीलावास	नाम हस्तांतरण, आवंटन पत्र एवं लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2574798} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7402} फैक्स - +91-141-2574555





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
8.	श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री नवल किशोर	श्री. छीतर सिंह पुत्र श्री कान सिंह	एस-774	72 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम टीलावास	आवंटन पत्र एवं लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
9.	श्री नवल किशोर पुत्र श्री शिव भगवान	बी.एस.एम. बिल्डकॉन प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री कमल बिहारी गोयल पुत्र स्व. श्री के.बी.एल. गोयल	एस-847-सी	18 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम टीलावास	आवंटन पत्र एवं लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।


उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-968

दिनांक:- 9/5/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) - जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-नांगलपुरोहित तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 390 रकबा 0.4600 हेक्टेयर, 391/2 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, 393/2 रकबा 1.1900 हेक्टेयर, 1314/391 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 391/1 रकबा 0.4700 हेक्टेयर, 392 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, 397 रकबा 0.7600 हेक्टेयर किता-7 कुल रकबा 3.2200 हेक्टेयर भूमि **रिसोर्ट प्रयोजनार्थ** प्राप्त आवेदन के क्रम में लोक सूचना जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक राजस्व ग्राम-नांगलपुरोहित तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 390 रकबा 0.4600 हेक्टेयर, 391/2 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, 393/2 रकबा 1.1900 हेक्टेयर, 1314/391 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 391/1 रकबा 0.4700 हेक्टेयर, 392 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, 397 रकबा 0.7600 हेक्टेयर किता-7 कुल रकबा 3.2200 हेक्टेयर भूमि **रिसोर्ट प्रयोजनार्थ** धारा 900ए की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु संलग्न लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि-मैसर्स तेजाश होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स एलएलपी पंजिकृत कार्यालय 521, पांचवी मंजिल, त्रिमूर्ति प्राईम टावर, प्लॉट नम्बर-70-बी, झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, निवारु रोड़, जयपुर जरिये पार्टनर श्री मनीष स्वामी पुत्र श्री सेवाराम स्वामी, निवासी-ए-201 केवल मार्ग, शिव नगर, मुरलीपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-968

दिनांक 9/5/23


लोक सूचना

मैसर्स तेजाश होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स एलएलपी पंजिकृत कार्यालय 521, पांचवी मंजिल, त्रिमूर्ति प्राईम टावर, प्लॉट नम्बर-70-बी, झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, निवारू रोड, जयपुर जारिये पार्टनर श्री मनीष स्वामी पुत्र श्री सेवाराम स्वामी, निवासी-ए-201 केवल मार्ग, शिव नगर, मुरलीपुरा, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (रिसोर्ट) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिला/तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल	खातेदार का नाम
आमेर/जयपुर	नागलपुरोहित	390	0.4600 हेक्टेयर	मैसर्स तेजाश होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स एलएलपी पंजिकृत कार्यालय 521, पांचवी मंजिल, त्रिमूर्ति प्राईम टावर, प्लॉट नम्बर-70-बी, झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, निवारू रोड, जयपुर 302012 खातेदार
		391/1	0.2300 हेक्टेयर	
		393/2	1.1900 हेक्टेयर	
		1314/391	0.0500 हेक्टेयर	
		391/1	0.4700 हेक्टेयर	
		392	0.0600 हेक्टेयर	
		397	0.7600 हेक्टेयर	
		किता-7	3.2200 हेक्टेयर	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 9/5/23 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर